संख्या : 3520 आर/छ-पु-5-526/95

प्रेषक,

दिलीप सहाय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

(पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ: दिनॉक:17 जनवरी, 1997

विषय: आग्नेयास्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन-पत्रों पर सभी प्रकार की जॉच पूर्व हो जाने के बावजूद, काफी समय तक उन पर निर्णय नहीं लिया जाता और आवेदन-पत्र वर्षों अनिस्तारित पड़े रहते हैं। इस कारण जहॉ आवेदकों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर शासन की छवि भी धूमिल होती है।

2- इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर आपका ध्यान इस ओर दिलाया जाता रहा है कि शस्त्र लाइसेंसों के आवेदन-पत्रों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये। शासनादेश संख्या-4760 आर/आठ-अनु-5-660/78, दिनॉक 7 सितम्बर, 1978 में समय सारिणी निर्धारित करके, आवेदन-पत्रों पर 45 दिनों के अन्दर निर्णय ले लेने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि यह अवधि बहुत कम है अत: इसे बढ़ाकर 90 दिन (3 माह) कर दिया जाये।

3- अत: अनुरोध है कि आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार, जॉच कराकर, यदि कोई विशेष बात न हो, 3 माह के अन्दर निर्णय ले लिया जाया करें।

कृपया पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें।

भवदीय,
ह0
(दिलीप सहाय)
संयुक्त सचिव।